प्रेस नोट

दिनांक 15.09.2020

दुष्कर्म की घटना के आरोपी चन्द्रपाल को प्रभावी पैरवी किए जाने पर मा0न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

अवगत कराना है कि दिनांक 25.06.2020 को थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक 11 वर्षीय लडकी के साथ अभियुक्त चन्द्रपाल उम्र करीब-50 वर्ष द्वारा दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मु0अ0सं0-227/2020 धारा 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट बनाम **चन्द्रपाल पुत्र गौधी सिंह निवासी ग्राम डिडौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर** के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। दुष्कर्म की उक्त सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त चन्द्रपाल को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर केवल 08वें दिन दिनांक 03.07.2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा कोरोना काल की बन्दी के बावजूद निरन्तर मॉनीटरिंग करते हुए तथा प्रत्येक तारीख पर क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों के बयान कराए गए एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। केवल 24 तिथियों पर अभियोजन की कार्यवाही चली तथा 02 माह 20 दिन बाद आज दिनांक 15.09.2020 को मा0 न्यायालय, एडीजे-5, बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र गौधी सिंह निवासी ग्राम डिडौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी बुलन्दशहर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।